

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 19 जून, 2017

29 ज्येष्ठ 1939, शक

अधिसूचना सं.- 17/2017- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. (अ). केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) के अनुसरण में और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून 2017, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 13/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), तारीख 9 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 566 (अ) तारीख 9 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिससे इस अधिसूचना के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 137/17/2017-सेवा कर]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार